-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–अशोक नगर रिव्यु - 404 - I/2011

श्री .... द्वारा 14-3-11 को प्रस्तुत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

लाखन सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, निवासी– सेमरी, पिपरई तहसील मुंगावली, जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोक नगर

.... अनावेदक

79
14-3-11

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1220-II/2007 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 03.12.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम सेमरी पिपरई की शासकीय भूमि सर्वे नं. 215 रकवा 1.463 हेक्टेयर का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में नायब तहसीलदार मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/अ–19/88–89 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 27.01.1989 से आवेदक के हित में किया गया था।

2– यहकि, पुराने कब्जे के आधार पर शासकीय भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में तहसीलदार मुंगावली द्वारा आवेदक की स्वयं की साक्ष्य लेकर एवं पटवारी का प्रतिवेदन बुलाकर प्रकरण में विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित कर किया गया था। इस व्यवस्थापन आदेश की किसी भी व्यक्ति द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.1989 अपने स्थान पर अंतिम हो गया था।

3– यहकि, अपर कलेक्टर अशोक नगर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस कार्यवाही में आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना ही अपर कलेक्टर अशोक नगर द्वारा अधिक समय बाद स्वप्रेरणा से शक्तियों का उपयोग करते हुए आवेदक के हित में किया गया व्यवस्थापन आदेश अपास्त किया था, जबकि अधिक समय बाद स्वप्रेरणा से शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 11.12.1998 के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुनरीक्षण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 27.04.2007 द्वारा खारिज हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 404–एक/2011 जिला –अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
4-05-16	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1220–दो/2007 आदेश दिनांक 3.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 404–एक/2011 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1220–दो/2007 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 3.12.2010 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 404–एक/2011 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, समयक तत्परता के पश्चात भी	

नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य